उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–1

संख्या 13/34/90-का-1-1997

लखनऊ, 10 जून, 1998

"उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1998" से संबंधित अधिसूचना सं0 13/34/90-का-1-1998, दिनांक 10 जून, 1998 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

2—सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल जी, उत्तर प्रदेश ।

3—समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

4—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश ।

5—सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

6—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया इसकी 2000 मुद्रित प्रतियां कार्मिक अनुभाग–1 को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

के0 एम0 लाल,

विशेष सचिव ।

क्रम-संख्या---124(क-6)

रजि.नं.एल.डब्ल्./एन.पी.890
लाइसेन्स नं0 डब्ल्0 पी0—41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग---4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 10 जून, 1998

ज्येष्ठ 20, 1920 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग—1

संख्या 13/34/90—का—1-98

लखनऊ, 10 जून, 1998

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0 प0 नि0---58

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड) नियमावली, 1994 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1998

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1998 कही जायगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का प्रतिस्थापन

2—उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड) नियमावली, 1994 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम 4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात् :—

	स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड	4-विभागाध्यक्ष के पद पर, विभागाध्यक्ष से ठीक एक पंक्ति नीचे के पद पर और किसी सेवा के ऐसे पद, जिसके वेतनमान का अधिकतम 6700/- रुपये या इससे अधिक हो, पदोन्नति द्वारा भर्ती, योग्यता के आधार पर की जायगी, और सभी सेवाओं के पदोन्नति से भरे जाने वाले शेष पदों, जिसमें ऐसा पद जहां पदोन्नति किसी अराजपत्रित पद से किसी राजपत्रित पद पर या एक सेवा से दूसरी सेवा में की जाय, भी सम्मिलित है, पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।	पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड 4-विभागाध्यक्ष के पद पर विभागाध्यक्ष से ठीक एक पंक्ति नीचे के पद पर और किसी सेवा के ऐसे पद पर जिनके वेतनमान का अधिकतम 18,300/- रुपया या इससे अधिक हो, पदोन्नति द्वारा भर्ती, योग्यता के आधार पर की जायगी, और सभी सेवाओं के पदोन्नति से भरे जाने वाले शेष पदों जिसमें ऐसा पद, जहां पदोन्नति किसी अराजपत्रित पद से किसी राजपत्रित पद पर या एक सेवा से दूसरी सेवा में की जाय, भी सम्मिलित है, पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायगी।

आज्ञा से,
सुधीर कुमार,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 13/XXXIV/90-Ka-1-98, dated June 10, 1998 :

No. 13/XXXIV/90-Ka-1-98

Dated Lucknow, June 10, 1998

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994.

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS CRITERION FOR RECRUITMENT BY PROMOTION (SECOND AMENDMENT) RULES, 1998

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion (Second Amendment) Rules, 1998.

(2) They shall come into force atonce.

Substitution of rule 4

2. In the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, *for* existing rule 4 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be *substituted*, namely :—

	COLUMN 1 *Existing rule*	COLUMN 2 *Rule as hereby substituted*
Criterion for recruitment by promotion	4. Recruitment by promotion to the post of Head of Department, to a post just one rank below the Head of Department and to a post in any service carrying the pay scale	Criterion for recruitment by promotion 4. Recruitment by promotion to the post of Head of Department, to a post just one rank below the Head of Department and to a post in any service carrying the pay scale

COLUMN-I	COLUMN-II
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
the maximum of which is Rs. 6700/- or above shall be made on the basis of merit, and to the rest of the posts in all services to be filled by promotion, including a post where promotion is made from a non-gazetted post to a gazetted post or from one service to another service, shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit.	the maximum of which is Rs. 18,300/- or above shall be made on the basis of merit, and to the rest of the posts in all services to be filled by promotion, including a post where promotion is made from a non-gazetted post to a gazetted post or from one service to another service, shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit.

By order,
SUDHIR KUMAR,
Sachiv.

पी०ए०सं०यू०पी०--ए०पी० 29 सा० नियुक्ति--(1287)---1998---2000 (सेक०)।